



**JEEVIKA**  
An Initiative of Government of Bihar for Poverty Alleviation  
**Bihar Rural Livelihoods Promotion Society**  
**State Rural Livelihoods Mission, Bihar**



1<sup>st</sup> Floor, Vidyut Bhawan-II, Bailey Road, Patna - 800 021; Ph. : +91-612-250 4980; Fax : +91-612-250-4960; e-mail : info@brlp.in; Website : www.brlp.in

## कार्यालय आदेश

### (सामुदायिक कैडर के मासिक मानदेय की सुनिश्चितता हेतु)

सामुदायिक संगठनों के सशक्तीकरण की प्रक्रिया में सामुदायिक कैडरों एवं सामुदायिक संसाधन सेवियों का पूर्ण सहयोग अत्यंत महत्वपूर्ण है। इस कार्य हेतु सभी सामुदायिक कैडरों एवं सामुदायिक संसाधन सेवियों के मनोबल एवं सामुदायिक संस्थाओं की अभिशासन व्यवस्था एवं गुणवत्ता सुदृढ़ करने हेतु उनके मासिक मानदेय/ प्रोत्साहन राशि का ससमय भुगतान संबंधित ग्राम संगठन/ संकुल स्तरीय संगठन से अपेक्षित है।

- इस कार्य हेतु सभी कैडरों एवं सामुदायिक संसाधन सेवियों के मासिक मानदेय/ प्रोत्साहन राशि हेतु समीक्षा एवं अनुश्रवण के लिए संकुल स्तरीय संगठन स्तर पर "कैडर मानदेय रजिस्टर-1 & 2 (अनुलग्नक-A एवं B)" अद्यतन किया जाना अपेक्षित है।
- जहाँ संबंधित CLF-Book Keeper द्वारा रजिस्टर-1(A) में संकुल स्तरीय संगठन स्तर के कैडर तथा रजिस्टर-2 (B) में सभी ग्राम-संगठन स्तरीय कैडर को प्राप्त मानदेय/ प्रोत्साहन राशि का विवरण माहवार अद्यतन किया जाएगा।
- साथ ही उक्त अद्यतन रजिस्टर के माध्यम से मासिक प्रगति की प्रविष्टि संबंधित CLF-Book Keeper द्वारा MIS/ Portal/ Mobile App में दर्ज की जायेगी।
- इस व्यवस्था की सफलता के लिए आवश्यक है कि सभी योग्य समूहों को सम्बंधित ग्राम संगठन में तथा सभी योग्य ग्राम संगठनों को सम्बंधित संकुल स्तरीय संगठन से ससमय जुड़ाव सुनिश्चित किया जाए। इसके साथ-साथ सभी समूहों, ग्राम संगठनों एवं संकुल स्तरीय संगठनों का जुड़ाव संबंधित सामुदायिक कैडरों के साथ ससमय सुनिश्चित किया जाए।
- कैडर मानदेय रजिस्टर-1 & 2 (अनुलग्नक- A एवं B) के अद्यतन उपरान्त संकुल स्तरीय संगठन द्वारा BPIU को अनुलग्नक- 'C' में प्रतिमाह प्रतिवेदन सुपुर्द किए जायेंगे।
- जिन समूहों का जुड़ाव ग्राम संगठनों से अथवा ग्राम संगठनों का जुड़ाव संकुल स्तरीय संगठन से नहीं हुआ है, उनके कैडरों के मानदेय की स्थिति का प्रतिवेदन BPIU द्वारा अनुलग्नक 'D' में स्वयं भरा जाएगा तथा इसे अनुलग्नक 'C' के साथ जोड़कर प्रखंड की स्थिति को अनुलग्नक 'E' में सम्बंधित DPCU को भुगतान माह के अगले महीने में 20 तारीख तक प्रत्येक माह सुपुर्द किए जायेंगे। सभी स्तर पर आवश्यक लेखांकन एवं दस्तावेजीकरण को सुनिश्चित किया जाएगा।
- सभी जिला परियोजना प्रबंधक से अपेक्षित है की कैडरों के कार्य एवं शर्तों के आलोक में ससमय मासिक मानदेय/ प्रोत्साहन राशि भुगतान की सुनिश्चितता करें।
- सभी जिला परियोजना प्रबंधक, कैडरों को किए गए मानदेय/ प्रोत्साहन राशि भुगतान की घोषणा/ प्रतिवेदन विहित प्रपत्र (अनुलग्नक-'F') में भुगतान माह के अगले महीने के 30 तारीख/ अंतिम कार्य दिवस तक सुनिश्चित करेंगे।
- कार्यालय आदेश संख्या: BRLPS/Proj-IBCB/726/14/I/ 26668/2022 के अनुसार सभी जिलों के सभी सामुदायिक कैडरों को मई 2022 तक का मानदेय/ प्रोत्साहन राशि को पूर्णतया भुगतान हेतु निदेशित किया जा चुका है। तत्पश्चात, सभी जिला परियोजना प्रबंधक निम्नलिखित समय-सीमा अनुसार सभी सामुदायिक कैडरों एवं सामुदायिक संसाधन सेवियों का मानदेय सुनिश्चित कर मानदेय भुगतान की घोषणा (अनुलग्नक-F) निम्न समय-सीमा में सुनिश्चित करेंगे :

I/30172/2022

क्र.सं.	विवरण	कैडर मानदेय भुगतान एवं संबंधित DPM द्वारा मानदेय भुगतान की घोषणा (अनुलग्नक-F) हेतु समय-सीमा
1	जून 2022 माह तक का मानदेय	अगस्त 2022
2	जुलाई एवं अगस्त 2022 माह का मानदेय	सितम्बर 2022
3	सितम्बर 2022 माह का मानदेय	अक्टूबर 2022
तत्पश्चात अक्टूबर 2022 से मासिक रूप से कैडर मानदेय/ प्रोत्साहन राशि का भुगतान सुनिश्चित करते हुए जिला परियोजना प्रबंधक प्रत्येक माह के पश्चात् आगामी माह के 30 तारीख/ अंतिम कार्य दिवस तक मानदेय भुगतान की घोषणा/ प्रतिवेदन (अनुलग्नक-F) राज्य कार्यालय को भेजना सुनिश्चित करेंगे।		

- इस कार्य की सफलता हेतु सभी संबंधित प्रखंड परियोजना प्रबंधक एवं प्रखंड मेंटर द्वारा संबंधित संकुल स्तरीय संगठन की मासिक बैठक (बोर्ड) में सम्मिलित होकर उक्त रजिस्टर के अद्यतन को सुनिश्चित करेंगे। इसके साथ-साथ संबंधित संकुल स्तरीय संगठन के बोर्ड द्वारा उक्त रजिस्टर के अद्यतन उपरांत मासिक प्रगति की प्रविष्टी संबंधित CLF-Book Keeper द्वारा **MIS/Portal/ Mobile App** में सुनिश्चित की जायेगी।
- उपरोक्त कार्यों के सफल क्रियान्वयन हेतु सम्मिलित रूप से प्रखंड परियोजना प्रबंधक एवं प्रखंड मेंटर की मासिक समीक्षा जिला परियोजना प्रबंधक द्वारा किया जाएगा। प्रत्येक माह कैडर मानदेय मांग पत्र एवं उपयोगिता प्रमाण पत्र जमा करने हेतु सभी प्रखंड परियोजना प्रबंधक को निदेशित किया जाता है। सभी जिला परियोजना प्रबंधक कैडर मानदेय हेतु मासिक मांग पत्र एवं उपयोगिता प्रमाण पत्र के संकलन हेतु जिला स्तर पर एक लेखापाल (Accountant) को नामित करेंगे।

सभी जिला परियोजना प्रबन्धक एवं वित्त प्रबंधक उपर्युक्त निर्देशानुसार कैडर मानदेय/ प्रोत्साहन राशि हेतु प्रतिपूर्ति राशि (संबंधित सामुदायिक कैडरों के लिए) के मांग पत्र को संकलित कर एक सप्ताह के अन्दर प्रतिपूर्ति राशि (Reimbursement Amount) का भुगतान सम्बंधित सामुदायिक संगठन/ प्रखंड परियोजना क्रियान्वयन इकाई को करना सुनिश्चित करेंगे।

सभी जिला परियोजना प्रबन्धक उपर्युक्त निर्देशों का पालन सुनिश्चित कर **कैडर मानदेय/ प्रोत्साहन राशि भुगतान संबंधी घोषणा पत्र जून, 2022 माह एवं उसके उपरांत प्रति माह** राज्य परियोजना प्रबंधन इकाई (SPMU-IBCB) को प्रेषित करेंगे। इस कार्य हेतु सभी जिला परियोजना प्रबन्धक की समीक्षा राज्य स्तरीय मासिक बैठक में की जाएगी।

(राहुल कुमार)

मुख्य कार्यपालक पदाधिकारी-सह-राज्य मिशन निदेशक

अनुलग्नक : यथोक्त।

प्रतिलिपि:

1. निदेशक,विशेष कार्य पदाधिकारी, परियोजना समन्वयक,मुख्य वित्त पदाधिकारी, प्रशासी पदाधिकारी, अधिप्राप्ति विशेषज्ञ।
2. सभी राज्य परियोजना प्रबंधक,राज्य वित्त प्रबंधक,परियोजना प्रबंधक,सहायक वित्त प्रबंधक।
3. सभी विषयगत प्रबंधक,प्रबंधक क्षमतावर्धन,प्रशिक्षण अधिकारी,प्रखंड परियोजना प्रबंधक,सी.एल.एफ. प्रबंधक।
4. सभी संकुल स्तरीय संगठन/ समिति।
5. सूचना एवं तकनीकी अनुभाग।
6. सम्बंधित संचिका।



**Annexure: 'C'****कैडर मानदेय/ प्रोत्साहन राशि भुगतान संबंधी प्रतिवेदन (माहवार)****(संकुल स्तरीय संगठन द्वारा BPIU को)**

प्रतिवेदित किया जाता है कि हमारे संकुल स्तरीय संगठन....., प्रखंड-....., जिला-.....में सामुदायिक संगठनों अथवा कैडरों को ग्राम संगठन/ संकुल स्तरीय संगठन द्वारा (माह एवं वर्ष) तक का मानदेय-राशि भुगतान (परियोजना देय राशि + CBOs देय राशि + प्रोत्साहन राशि) निम्नानुसार किया जा चुका है।

क्र. सं.	कैडर के प्रकार	कैडर का स्तर	कैडरों की कुल संख्या	कैडरों की कुल संख्या जिन्हें मानदेय/ प्रोत्साहन राशि का भुगतान CBOs योगदान/ Reimbursement के माध्यम से किया जा चुका है	Reimbursement हेतु शेष राशि
1	Community Mobiliser	ग्राम संगठन			
2	Village Resource Person	संकुल स्तरीय संगठन			
3	VO-Book Keeper				
4	CLF-Master Book Keeper				
5	Cluster Facilitator				
6	Bank Mitra				
7	Community Resource Person				
8	SJY-Master Resource Person				
9	HNS-Master Resource Person				
10	HNS-CNRP				
11	Job Resource Person				
12	Skilled Extension Worker				
13	CLF Coordinator				
14	Agriculture Entrepreneur				
	Others 1.				
	2.				
<b>Total</b>					

**नोट:-** उपर्युक्त कैडरों के मानदेय/ प्रोत्साहन राशि हेतु जानकारी, संबंधित कैडर मानदेय रजिस्टर (अनुलग्नक 'A': R1- संकुल स्तरीय संगठन स्तर के कैडर मानदेय एवं अनुलग्नक 'B': R2- ग्राम संगठन स्तरीय कैडर मानदेय) के अद्यतन के अनुसार है। (हाँ/नहीं)-

**दिनांक:**

(अध्यक्ष)

\_\_\_\_\_ संकुल स्तरीय संगठन, .....



I/30172/2022

**Annexure: 'E'****कैडर मानदेय/ प्रोत्साहन राशि भुगतान सम्बन्धी प्रतिवेदन (माहवार)****(BPIU द्वारा DPCU हेतु)**

प्रतिवेदित किया जाता है कि प्रखंड-.....जिला-.....में सामुदायिक संगठनों अथवा कैडरों को सामुदायिक संगठनों (ग्राम संगठन / संकुल स्तरीय संगठन) द्वारा.....(माह एवं वर्ष) तक का मानदेय राशि भुगतान (परियोजना देय राशि + CBOs देय राशि + प्रोत्साहन राशि) निम्नानुसार किया जा चुका है।

क्र. सं.	कैडर के प्रकार	कैडर का स्तर	कैडरों की कुल संख्या	कैडरों की कुल संख्या जिन्हें मानदेय/ प्रोत्साहन राशि का भुगतान CBOs योगदान/ Reimbursement के माध्यम से किया जा चुका है	Reimbursement हेतु शेष राशि
1	Community Mobiliser	ग्राम-संगठन			
2	Village Resource Person	संकुल स्तरीय संगठन			
3	VO-Book Keeper				
4	CLF-Master Book Keeper				
5	Cluster Facilitator				
6	Bank Mitra				
7	Community Resource Person				
8	SJY-Master Resource Person				
9	HNS-Master Resource Person				
10	HNS-CNRP				
11	Job Resource Person				
12	Skilled Extension Worker				
13	CLF Coordinator				
14	Agriculture Entrepreneur				
	Others 1.				
	2.				
<b>Total</b>					

विशेष टिपणी (यदि कोई हो):

दिनांक:

(प्रखंड परियोजना प्रबंधक)

प्रखंड परियोजना क्रियान्वयन इकाई, \_\_\_\_\_

**Annexure: 'F'****कैडर मानदेय/ प्रोत्साहन राशि भुगतान संबंधी मासिक घोषणा पत्र****(DPCU द्वारा SPMU हेतु)**

घोषणा किया जाता है कि \_\_\_\_\_ जिला अंतर्गत \_\_\_\_\_ प्रखंडों में, कुल \_\_\_\_\_ सामुदायिक कैडरों एवं सामुदायिक संसाधन सेवी को \_\_\_\_\_ (माह एवं वर्ष) तक कुल मानदेय राशि (परियोजना देय राशि + सामुदायिक संगठनों द्वारा देय राशि + प्रोत्साहन राशि) का भुगतान सामुदायिक संगठनों (ग्राम संगठन/ संकुल स्तरीय संगठन) द्वारा शत-प्रतिशत किया जा चुका है। वर्णित माह तक किसी भी कम्युनिटी कैडर का कोई मानदेय/ प्रोत्साहन राशि बकाया नहीं है।

**दिनांक:****(जिला परियोजना प्रबंधक)**

जिला परियोजना समन्वयन इकाई.....